

Title: Introduction of the Cinematograph (Amendment) Bill, 2000 (Amendment of Section 5B).

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Cinematograph Act, 1952."

The motion was adopted.

श्री सुबोध मोहिते : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2 dt.28.7.2000